अध्याय III: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

रबड़ बोर्ड

3.1 रबड़ बोर्ड की कार्यप्रणाली

3.1.1 रबड़ बोर्ड का गठन और उसके उद्देश्य

रबड़ अधिनियम, 1947 के माध्यम से कोट्टायम, केरल में रबड़ बोर्ड (बोर्ड) का गठन (अप्रैल 1947) में किया गया था। यह बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य देश में रबड़ उद्योग का विकास करना है। बोर्ड के नियंत्रण में पूरे भारत में इसके 45 क्षेत्रीय कार्यालय और 10 प्रभागों के साथ भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान है (जनवरी 2021)। बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करते है जिन्हें 26 नियमित[1] और दो पदेन सदस्यों[2] द्वारा समर्थित किया जाता है। कार्यकारी निदेशक बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख होते है। मार्च 2020 तक बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 1,261 थी। बोर्ड ने 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमश: ₹208.56 करोड़, ₹190.60 करोड़ तथा ₹227.18 करोड़ का वार्षिक व्यय उसी अवधि के दौरान ₹24.98 करोड़, ₹17.77 करोड़ तथा ₹17.12 करोड़ की आय(भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को छोड़कर) के प्रति किया। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है:

- भारत में रबड़ उद्योग का विकास-क्षेत्र विस्तार, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, नर्सरियों का रख-रखाव और रबड़ के छोटे उत्पादकों[3] के बीच रबड़ उत्पादक समितियों तथा समूह प्रसंस्करण केन्द्रों (जीपीसीज़) के गठन को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान
- छात्रों को प्रशिक्षण और उत्पादकों को तकनीकी सलाह
- रबड़ के विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार

---

1 *भारत सरकार, केरल और तमिलनाडु राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले, संसद सदस्य और भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य*

2 *कार्यकारी निदेशक और रबड़ उत्पादन आयुक्त*

3 *एक मालिक जिसकी रबड़ सम्पत्ति क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।*

- श्रम कल्याण गतिविधियां लागू करना
- सरकार को सलाहकार सेवाएं और आंकड़ों का संग्रहण

बोर्ड के कार्यों को इसके विभिन्न अंगों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों तथा बोर्ड द्वारा स्थापित फील्ड कार्यालयों[4] के माध्यम से किया जाता हैं।

3.1.2 भारत में प्राकृतिक रबड़ की खेती

भारत में रबड़ की खेती का कुल क्षेत्रफल 8.22 लाख हेक्टेयर (मार्च 2020) था। कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, भारत में रबड़ उगाने वाले क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में वृर्गीकृत किया गया है अर्थात् (i) पारंपारिक क्षेत्र[5] (69.60 *प्रतिशत*) और (ii) गैर-पारंपरिक क्षेत्र[6] (30.40 *प्रतिशत*)। प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों द्वारा प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की स्थिति **अनुलग्नक-XXVI** में दी गई है। भारत में वैश्विक उत्पादन की तुलना में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 2000 में 9.3 *प्रतिशत* से 2019 में 5.13 *प्रतिशत* की गिरावट हुई थी। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 2010-11 में घरेलू खपत को 83 *प्रतिशत* तक पूरा कर सकता था और 2019-20 में यह घटकर 63 *प्रतिशत* रह गया। 20 *प्रतिशत* की कमी को इंडोनेशिया, वियतनाम, थाइलैंड और मलेशिया से ब्लाक प्राकृतिक रबड़[7] के आयात से पूरा किया गया था।

3.1.3 बोर्ड की वित्तीय स्थिति

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, बोर्ड के लिए निधियों का प्राथमिक स्रोत थे। 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से ₹1,872.80 करोड़ की राशि योजना, गैर-योजना और मध्यम अवधि फ्रेमवर्क[8] अनुदान के रूप में प्राप्त की और इसी अवधि के दौरान आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से

---

[4] ***रबड़ बोर्ड के फील्ड कार्यालय आधार स्तर विस्तारण कार्यालय होते हैं जो देश के रबड़ उत्पादक क्षेत्रों के दूरदराज के गांवों में स्थित होते हैं, जिन्हें एक ही फील्ड अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है।***

[5] ***केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले तक सीमित***

[6] ***कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, तटीय आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य और अडंमान और निकोबार द्वीपों तक सीमित***

[7] ***लागत प्रभावी और आधुनिक प्रसंस्करण विधियों को अपनाते हुए ब्लाक (रबड़ शीट के बजाय) के रूप में संसाधित प्राकृतिक रबड़। गुणवत्ता में स्थिरता के कारण यह प्रसंस्कृत रबड़ का पसंदीदा प्रकार है।***

[8] ***2017-18 से 2019-20 तक***

₹222.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। बोर्ड ने उक्त निधियों का उपयोग योजनाओं के कार्यान्वयन और परिचालन व्यय के लिए किया। बोर्ड का परिचालन/गैर योजनागत व्यय 2010-11 में ₹91.87 करोड़ (₹173.73 करोड़ के कुल व्यय का 52.88 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2019-20 में ₹208.55 करोड़ (₹227.18 करोड़ के कुल व्यय का 91.79 *प्रतिशत*) हो गया था। उच्च परिचालन व्यय मुख्यत: बोर्ड में कर्मचारियों की बड़ी संख्या के कारण था। मार्च 2011 में रबड़ बोर्ड में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या 1,894 थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2017-18 में संस्वीकृत संख्या को 1,977 पदों से घटा कर 1,649 पद और नवम्बर 2019 में घटाकर 905 पद कर दिया था। 2022-23 तक पदों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना था।

3.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और मानदंड

लेखापरीक्षा ने पिछले 10 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2019-20 के लिए बोर्ड के समग्र कार्य, विभिन्न योजनाओं के परिणाम तथा श्रमबल और निधियों के उपयोग का आंकलन किया। रिपोर्ट में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को बोर्ड के कार्यवृत की समीक्षा, योजना दिशानिर्देशों, वित्तीय विवरणों, योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित रिकार्डों, डाटा विश्लेषण, विभिन्न यूनिटों के निरीक्षण, प्रमुख प्रबन्धन कर्मियों के साथ चर्चा और प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा मानदंडों में रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947; रबड़ नियम 1955, योजना दिशानिर्देश, XII पंचवर्षीय योजना; मध्यावधि रूपरेखा, सामान्य वित्तीय नियमावली, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा अनुदान हेतु लाभार्थियों के चयन से संबंधित दिशानिर्देश; और बोर्ड/सरकारों द्वारा जारी निधियों/अनुदानों का आवंटन शामिल थे।

ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड को (जनवरी 2021) व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को (मार्च 2021) में जारी की गई थी तथा उनके उत्तरों (फरवरी 2021 और अप्रैल 2021) पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए यथायोग्य विचार किया गया था।

3.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

1. रबड़ बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया; तथा
2. योजनाएं मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता से कार्यान्वित की गई थी।

3.1.6 बोर्ड द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बोर्ड द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

3.1.6.1 खेती योग्य क्षेत्र में विस्तार और वृद्धि में बोर्ड की भूमिका

बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार और विभिन्न योजनाओं जैसे अनुदान देना, महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति, प्रशिक्षण, पूर्वोत्तर और अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में नए फील्ड कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन इत्यादि से उत्पादकता में वृद्धि करना प्रमुख था। बोर्ड ने 2019-20 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान ₹1,011.87 करोड़ विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन में व्यय किए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि रबड़ की समग्र खेती का क्षेत्रफल एक दशक के दौरान 7.11 लाख हेक्टेयर (मार्च 2011) से बढ़कर 8.22 लाख हेक्टेयर[9] (मार्च 2020) हो गया था। वार्षिक वृद्धि दर 2010-11 में 3.65 *प्रतिशत* से गिर कर 2019-20 में 0.04 *प्रतिशत* रह गई थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर और अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में प्राकृतिक रबड़ रोपण के लिए पहचाने गए 8.67 लाख हेक्टेयर[10] संभावित क्षेत्र (2015) में से, बोर्ड मार्च 2020 तक केवल 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (29 *प्रतिशत*) में ही पौधारोपण कर सका।

गिरावट का कारण था कि बोर्ड क्षेत्र विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त रोपण अनुदान सहायता जारी नहीं कर सका क्योंकि 2010-11 से 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल अनुदान के लगभग 50.51 *प्रतिशत* से 93.65 *प्रतिशत* को गैर योजनागत कार्यों[11] पर व्यय किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि पूर्वोत्तर/गैर पारम्परिक क्षेत्रों में केवल 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार संभव है। बोर्ड ने सहमति व्यक्त की कि अनुदान सहायता के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता की कमी, क्षेत्र के विस्तार में कमी के कारणों में

---

[9] ***अनंतिम आंकड़े***

[10] ***2015 में, पूर्वोत्तर और अन्य गैर परम्परिक क्षेत्रों में, संभावित क्षेत्र क्रमश: 3.42 लाख हेक्टेयर (संशोधित) और 5.25 लाख हेक्टेयर था। पूर्वोत्तर और अन्य गैर परम्परिक क्षेत्रों के लिए संभावित क्षेत्र का आंकलन भी क्रमश: 4.17 लाख हेक्टेयर और 2.08 लाख हेक्टेयर तक संशोधित किया गया था (अक्टूबर 2020)।***

[11] ***योजना व्यय वह व्यय है जो योजनाओं/कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जबकि गैर-योजना व्यय वह व्यय है जो नियमित कार्यों पर खर्च किया जाता है।***

से एक थी। गैर लाभकारी कीमतों ने उत्पादकों को रबड़ की खेती करने से हतोत्साहित किया। बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने के लिए विकल्प तलाश रहा है।

बोर्ड का उत्तर, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि बोर्ड क्षेत्र के विस्तार के लिए पर्याप्त रोपण अनुदान सहायता जारी नहीं कर सका।

3.1.6.2 प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट

वर्ष 2010-11 में 8.62 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2019-20 में वार्षिक उत्पादन में पिछले 10 वर्षों के दौरान 7.12 लाख मीट्रिक टन की गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई। इसके अलावा, पारम्परिक क्षेत्र और गैर पारम्परिक क्षेत्र में 2009-10 से 2019-20 की अवधि के दौरान, उत्पादकता में क्रमश: 15.56 *प्रतिशत* (1,843.19 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1,556.47 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) और 1.21 *प्रतिशत* (1,209.03 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1,194.43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की कमी आई। उत्पादन में गिरावट के कारणों की चर्चा नीचे की गई हैं:

- रबड़ एक बारहमासी फसल होने के कारण, छ: से नौ वर्ष की अवधि (अपरिपक्वता अवधि) में पूरी होती है। अपरिपक्वता अवधि के दौरान उत्पादकों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त वित्तीय सहायता रबड़ उत्पादकों को रबड़ की खेती करने के लिए हतोत्साहित करती है। थाइलैंड, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देश भारत की तुलना में 1.61 गुना से 6 गुना अधिक[12] वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता होती है। खेती/विकास लागत के *प्रतिशत* के रूप में वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता की दर पारम्परिक क्षेत्र के लिए 20 *प्रतिशत* (XI योजना) से आठ *प्रतिशत* (XII योजना) हो गई और फिर पांच *प्रतिशत* (मध्यम अवधि फ्रेमवर्क) हो गई और गैर पारम्परिक क्षेत्र के लिए 34 *प्रतिशत* (XI योजना) से कम होकर 15 *प्रतिशत* (XII योजना) हो गई और फिर आठ *प्रतिशत* (मध्यम अवधि फ्रेमवर्क) हो गई, जैसा कि संबंधित योजना अवधियों के लिए बोर्ड की व्यय वित्त समिति

---

[12] ***श्रीलंका में ₹64,200 प्रति हेक्टेयर, मलेशिया में ₹1,57,800 प्रति हेक्टेयर और थाईलैंड में ₹2,08,700 प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत में पारंपरिक क्षेत्र के लिए ₹25,000 प्रति हेक्टेयर और गैर पारम्परिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर।***

के ज्ञापन से नोट किया गया है।

- बोर्ड की योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि बोर्ड उच्च प्रशासनिक लागतों के कारण योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण इनपुटों की आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं ने 2012-13 से 2019-20 के दौरान 1,64,000 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र के प्रति केवल 73,355 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया।

- रबड़ की संस्थागत खरीद, जैसे राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद को 2001 से समाप्त कर दिया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि कम कीमतों के परिणामस्वरूप जीर्ण पौधारोपण के संचयन अनियमित उपयोग और अप्रयुक्त पौधारोपण के कारण उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसने आगे बताया कि पिछले दो वर्षों (2019-20 और 2020-21 में बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के कारण उत्पादकता में क्रमिक वृद्धि के साथ इस प्रकृति में बदलाव देखा गया था। जुलाई 2020 से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि ने भी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की।

तथ्य यह है कि अपर्याप्त प्रोत्साहन और रबड़ की खेती के लिए पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कमी आई है।

सिफारिश संख्या 1

बोर्ड पूर्वोत्तर/अन्य गैर पारम्परिक क्षेत्रों में पौधारोपण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोहन को प्रोत्साहित और महत्वपूर्ण इनपुट आपूर्ति जैसी उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावी उपाय करे।

3.1.6.3 रबड़ उत्पादकों का सर्वेक्षण

प्राकृतिक रबड़ के कम उत्पादन के कारणों का निर्धारण आंकलन करने और उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं को समझने के लिए लेखापरीक्षा ने केरल में रबड़ उत्पादकों के बीच एक आनलाइन सर्वेक्षण किया। अनुरोध पर, बोर्ड ने 1,946 रबड़ उत्पादक समितियों और 267 रबड़ उत्पादकों के ई-मेल पते प्रदान किए। सदस्य उत्पादकों को अग्रेषित करने के लिए उपरोक्त सभी रबड़ उत्पादक समितियों को प्रश्नावली का लिंक भेजा गया था। 369

उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया और परिणाम निम्नानुसार था:

- 24 *प्रतिशत* उत्पादक अपने इलाके में बोर्ड के फील्ड कार्यालय की मौजूदगी से अनजान थे।
- 17 *प्रतिशत* उत्पादकों ने कहा कि फील्ड अधिकारी कभी भी उनके बागान का दौरा नहीं करते हैं।
- 63 *प्रतिशत* उत्पादकों ने जागरूकता के अभाव में अनुदान सहायता योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था।
- 20 *प्रतिशत* उत्पादक विपणन में सुधार के लिए स्थापित रबड़ उत्पादक समितियों से अनजान थे।
- 62 *प्रतिशत* उत्पादकों ने भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकासित 400 सीरिज हाईब्रिड क्लोन नहीं लगाए थे।
- बोर्ड की सलाह के अनुसार, 59 *प्रतिशत* उत्पादक सात दिनों में एक बार के बजाय दो दिन में एक बार दोहन कर रहे थे।
- 12 *प्रतिशत* उत्पादक रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना से अनजान थे।
- 85 *प्रतिशत*[13] की राय थी कि ₹150 प्रति किलो मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य कम था।
- 66 *प्रतिशत* उत्पादक मृदा परीक्षण के आधार पर पौधारोपण नहीं कर रहे थे।
- 71 *प्रतिशत* उत्पादक उर्वरक सिफारिश के लिए विकसित रबड़ मृदा सूचना प्रणाली से अनजान थे।

सर्वेक्षण के उपरोक्त परिणामों ने रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति में कमियों को इंगित किया।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि वह विशेष रूप से जागरूकता की कमी के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा।

बोर्ड के उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आलोक में की जानी चाहिए कि योजनाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए कोई सूचना, शिक्षा और संचार नीति मौजूद नहीं थी।

---

[13] ***रबड़ उत्पादक प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी रखने वाले उत्पादकों में से***

सिफारिश संख्या 2

बोर्ड एक सूचना, शिक्षा और संचार नीति तैयार करे ताकि व्यवस्थित रूप से पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और लागू योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।

3.1.6.4 रबड़ उत्पादक समितियां और समूह प्रसंस्करण केन्द्र

क. गठित रबड़ उत्पादक समितियों की अपर्याप्त संख्या

रबड़ उत्पादक समितियां चैरिटेबल सोसाईटी अधिनियम के तहत पंजीकृत छोटे उत्पादकों का स्वैच्छिक स्वयं सहायता संघ हैं। रबड़ उत्पादक समितियां रबड़ बागान विस्तारण कार्यों के लिए बोर्ड की विस्तारण शाखा है। बोर्ड के विस्तारण कार्यों के तहत रबड़ उत्पादक समिति की मुख्य गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा, सदस्यों के लाभ के लिए समूह दृष्टिकोण को बढ़ावा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाना सुनिश्चित करना, बोर्ड और अन्य संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके विकास कल्याण गतिविधियों को लागू करना शामिल है। यह पौधारोपण आवश्यकताओं की खरीद और छोटे उत्पादकों को उचित मूल्य पर वितरण भी करता है, उत्पादकों द्वारा उत्पादित रबड़ के अनुशांसित कृषि कार्यों, सामुदायिक प्रसंस्करण और विपणन को अपनाना सुनिश्चित करता है। रबड़ उत्पादक समितियां अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करती हैं और सदस्य बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से अवगत होते हैं। उत्पादकों की बैठकें लगातार अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं जो उन्हें रबड़ के उत्पादन और विपणन के बारे में अपनी चिन्ताओं को साझा करने में मदद करती हैं। बोर्ड ने उपरोक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2,993 रबड़ उत्पादक समितियों[14] का गठन किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के पास सभी उत्पादकों को रबड़ उत्पादक समितियों के दायरे मे एक साथ लाने/पहचान करने का कोई तंत्र नहीं था। रबड़ उत्पादक समितियों के तहत कुल क्षेत्रफल का केवल 39.18 *प्रतिशत* ही था (मार्च 2020)। पारंपरिक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी रबड़ उत्पादक समितियों की औसत संख्या 99 (240 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) थी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह 32 (370 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) थी और अन्य गैर पारंपरिक क्षेत्र के संबंध में यह 20 (602 हेक्टेयर प्रति रबड़ उत्पादक समिति) था। इसने इंगित किया कि बोर्ड गैर पारंपरिक क्षेत्रों में पर्याप्त

[14] ***पारंपरिक क्षेत्र में 2,381, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 510 और अन्य गैर-पारंपरिक क्षेत्रो में 102***

रबड़ उत्पादक समितियां स्थापित करने में विफल रहा। रबड़ उत्पादक समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन और मौजूदा रबड़ उत्पादक समितियों और एसएचजीज़ को मजबूत करने के लिए समग्र लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। रबड़ उत्पादक समितियों/ बनाए जाने वाले एसएचजीज़ के कुल लक्ष्य के बारे में अलग-अलग विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसके अलावा, मार्च 2020 तक 2,993 रबड़ उत्पादक समितियों में से 360 (12.02 *प्रतिशत*) निष्क्रिय थी। बोर्ड के फील्ड स्तर के अधिकारी, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत रबड़ उत्पादक समिति के निदेशक मंडल के सदस्य है, जो रबड़ उत्पादक समितियों के कामकाज में निगरानी और सहायता के लिए हैं उन्हें अपने कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभाना था ताकि इसे निष्क्रिय होने से बचाया जा सके।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े और उत्पादकों के छिटपुट फैले हुए वितरण के कारण, अधिक रबड़ उत्पादक समितियों के गठन की संभावना कम हो गई है। समय आने पर रबड़ उत्पादक समितियों का गठन किया जा सकता है जब पूर्वोत्तर/गैर पारंपरिक क्षेत्रों में अधिक पौधारोपण और पर्याप्त संख्या में उत्पादक उपलब्ध हो। इसने आगे बताया कि विस्तार विंग सभी रबड़ उत्पादकों को रबड़ उत्पादक समितियों के दायरे में लाने के उददेश्य से कार्य कर रहा है और इसे धीरे-धीरे अधिक रबड़ उत्पादक समितियों के गठन और मौजूदा समितियों में अधिक सदस्यों को नामांकित करके प्राप्त किया जा सकता है। बोर्ड ने उत्तर दिया कि वह निष्क्रिय रबड़ उत्पादक समितियों को हटाने का प्रयास कर रहा है ताकि या तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सके या उन्हें कार्यशील बनाया जा सके।

बोर्ड का उत्तर पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट नहीं करता है कि कुल क्षेत्रफल का केवल 39.18 *प्रतिशत* ही रबड़ उत्पादक समितियों के अंतर्गत क्यों आच्छादित था। चूंकि रबड़ वृक्षारोपण क्षेत्र में छोटी जोतों का वर्चस्व है, इसलिए यह क्षेत्र बिचौलियों द्वारा रबड़ उत्पादकों के शोषण, कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंचने में कठिनाइयों से ग्रस्त हो सकता है। यह इंगित करता है कि रबड़ उत्पादक समितियों के तहत रबड़ वृक्षारोपण को बढ़ाने के प्रयासों को उत्पादकों की सदस्यता में वृद्धि कर बढ़ाने की आवश्यकता थी।

सिफारिश संख्या 3

बोर्ड को रबड़ उत्पादक समितियों की भूमिका, गतिविधियों और रबड़ उत्पादकों को इनके लाभों के व्यापक प्रचार हेतु विस्तार विंग के माध्यम से पर्याप्त प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए।

सिफारिश संख्या 4

बोर्ड को प्रत्येक रबड़ उत्पादक सोसायटी द्वारा की जाने वाली विस्तार गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके रबड़ उत्पादक समितियों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए और निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी भी करनी चाहिए।

ख. समूह प्रसंस्करण केंद्रों का कार्य न करना

रबड़ के विपणन योग्य रूप में रबड़ का प्रसंस्करण बहुत जटिल है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के लिए संसाधनों के निवेश की आवश्यकता होती है, जो अक्सर छोटे उत्पादकों द्वारा वहन करने योग्य नहीं होता है। रबड़ उत्पादक समितियों को सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन में सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड 1993 से समूह प्रसंस्करण केंद्रों (जीपीसी) को बढ़ावा दे रहा है। जीपीसी लेटेक्स से गुणवत्ता वाली रबड़ शीट के उत्पादन के उद्देश्य से बनाई गई केंद्रीकृत सुविधा है। केंद्रीकृत प्रसंस्करण सुविधा के रूप में लेटेक्स से रबड़ शीट का उत्पादन करने के लिए विभिन्न रबड़ उत्पादक समितियों के तहत 343 जीपीसी थे।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2020 तक 122 जीपीसी क्रियाशील नहीं थे। नौ जीपीसी रबड़ शीट के उत्पादन के बजाय विशेष रूप से लेटेक्स के व्यापार में लगे हुए थे। इस प्रकार, इन जीपीसी के निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो गया।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2021) कि कुछ जीपीसी विभिन्न बाधाओं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, प्रसंस्करण केंद्रों की समय पर मरम्मत में कमी, श्रम समस्याओं, उत्पादकों से असहयोग, उच्च प्रसंस्करण लागत आदि के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि बोर्ड द्वारा उजागर किए गए मुद्दे नियंत्रणीय थे और लागत में कटौती करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और ईंधन कुशल

जीपीसी की स्थापना के लिए मरम्मत, नवीनीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सब्सिडी प्रदान करके और उत्पादकों को प्रशिक्षण देकर इनसे बचा जा सकता था।

3.1.6.5 आंकड़ों का संग्रह

देश में रबड़ की खेती पर आंकड़े एकत्र, संकलित, व्याख्या और प्रसार करना बोर्ड का संवैधानिक कार्य है (रबड़ नियम, 1955 का नियम 43)। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्पादकों का डेटाबेस एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के पास खेती वाले क्षेत्र के आकार के साथ-साथ उत्पादकों का डेटा नहीं था। उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सब्सिडी आवेदनों के आधार पर छोटी जोत के बारे में डेटा संकलित किया गया था। बड़े उत्पादकों के मामले में आंकड़ों को उनके वार्षिक प्रतिवेदन से प्राप्त किया गया था। केरल में पिछला व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण 2002 में किया गया था। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान, 7,760 रबड़ डीलरों[15] में से केवल 4,141 ने बोर्ड को अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया। 4,141 रबड़ डीलरों में से केवल 2,650 ने ही सभी महीनों के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसलिए, उपरोक्त सभी तथ्य इंगित करते हैं कि बोर्ड द्वारा डेटा संकलन विश्वसनीय नहीं हो सकता है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि बोर्ड ने 1986 में रबड़ जोत का अनिवार्य पंजीकरण बंद कर दिया था। 1996 से 2002 के दौरान पिछली जनगणना के बाद, बोर्ड ने खेती किए गए रबड़ क्षेत्र में परिवर्तन का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किया है। नए रोपण और पुनर्रोपण क्षेत्रों का रिकॉर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखा जाता है। बोर्ड द्वारा वार्षिक प्रकाशन "इंडियन रबड़ स्टैटिस्टिक्स" पर न केवल सरकार द्वारा, बल्कि उद्योग द्वारा भी अपने कामकाज की योजना बनाने के लिए वर्षों से भरोसा किया गया है।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि सांख्यिकी का संग्रहण बोर्ड के कार्यों में से एक है और रबड़ अधिनियम, 1947 के तहत अनिवार्य है। रबड़ उद्योग

---

[15] ***रबड़ डीलर वह कोई भी व्यक्ति है जो रबड़ का कारोबार करता है, चाहे वह थोक या खुदरा हो या रबड़ के स्टॉक रखता हो, और इसमें डीलर का प्रतिनिधि या एजेंट शामिल होता। एक डीलर को बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और उसे ऑनलाइन मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।***

से संबंधित आंकड़े विशेष रूप से रबड़ बोर्ड द्वारा एकत्र किए जाते हैं और कोई अन्य एजेंसी इन कार्यों को करने में संलग्न नहीं है। बोर्ड के पास भारत में कुल रबड़ उत्पादकों का डेटा नहीं था। इसके अलावा, डेटा संग्रहण को बोर्ड की एक व्यवस्थित और नियमित गतिविधि बनाने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 5

बोर्ड को रबड़ उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए या तो जनगणना द्वारा या आवधिक प्रतिवेदन *की प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण के कुल क्षेत्रफल, उत्पादकों की संख्या, दोहकों की उपलब्धता आदि को अपने डेटाबेस मे अद्यतन करना चाहिए।*

3.1.7 योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई अन्य कमियां

लेखापरीक्षा ने योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य कमियाँ पाई जिनका विवरण नीचे पैराग्राफ में दिया गया है:

3.1.7.1 रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना

रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना केरल सरकार (जीओके) द्वारा छोटे रबड़ उत्पादकों[16] को समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी (जुलाई 2015)। केरल सरकार ने रबड़ के लिए न्यूनतम मूल्य के रूप में ₹150 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया और उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य और बोर्ड के संदर्भ मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया गया। बोर्ड योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी था। उत्पादकों को स्वयं को केरल सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम (डीबीटीएस[17]) में पंजीकृत करना था और उन्हें यूनिक आईडी आवंटित की गई थी।

योजना के तहत उत्पादकों ने अपनी रबड़ शीट/लेटेक्स को प्रचलित दर (बोर्ड के संदर्भ मूल्य) पर खुले बाजार में बेचा। उत्पाद बेचने के बाद, उत्पादकों को नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा बनाए गए डीबीटीएस में बिक्री बिल अपलोड करना था। जिस कीमत पर उत्पादक ने शीट/लेटेक्स (प्रति किलो मूल्य) बेचा और केरल सरकार द्वारा तय किया

---

[16] ***पांच हेक्टेयर तक कुल क्षेत्रफल वाले उत्पादक***

[17] ***एनआईसी द्वारा अनुरक्षित***

गया ₹150 की न्यूनतम कीमत के बीच का अंतर वह प्रति किलो सब्सिडी राशि है जो कि बिल में दिखाए गए रबड़ शीट की कुल मात्रा (योजना के नियमों के अनुसार केरल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन) से गुणा किया जाता है । प्रत्येक बिल में डीबीटीएस द्वारा गणना की गई ऐसी सब्सिडी राशि सीधे उत्पादक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। योजना के नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत डीलरों द्वारा उत्पादकों को जारी किए गए बिक्री बिल ही सब्सिडी भुगतान के लिए पात्र थे। रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना प्रसंस्करण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- प्रत्येक पखवाड़े में, उत्पादक उनके द्वारा बेचे गए लेटेक्स/रबड़ शीट के लिए डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजक रबड़ उत्पादक समितियों को प्रस्तुत करते हैं।
- रबड़ उत्पादक समितियां बीजकों का सत्यापन करती हैं और स्कैन की गई प्रति को डीबीटीएस पर अपलोड करती हैं और वास्तविक बीजक को उनके सत्यापन/अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करती हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालय डीबीटीएस में रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा दर्ज किए गए विवरणों को रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा अग्रेषित वास्तविक बीजकों के साथ सत्यापित करता है और पात्र मामलों का अनुमोदन करता है।
- डीबीटीएस में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदन के बाद, केरल सरकार संबंधित उत्पादक के बैंक खाते में डीबीटीएस के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करती है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान पांच लाख उत्पादकों को कुल ₹1,612.49 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमजोरियाँ पायी:

क. डीलरों द्वारा खरीदे गए लेटेक्स/रबड़ शीट की मात्रा में अंतर

रबड़ अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत डीलर को खुले बाजार से उनके द्वारा अधिप्राप्त रबड़ शीट/लेटेक्स की मात्रा, उनके द्वारा बेची गई रबड़ शीट/लेटेक्स की कुल मात्रा और उनके साथ रबड़ शीट/ लेटेक्स स्टॉक के बारे में मासिक प्रतिवेदन दाखिल करना होता है।

2016 में, बोर्ड ने ऑनलाइन प्रतिवेदन दाखिल करने की शुरुआत की, जिसने रबड़ डीलरों को रबड़ बोर्ड की एकीकृत व्यापार सूचना प्रणाली (आरयूबीआईएस) में मासिक प्रतिवेदन अपलोड करने में सक्षम बनाया।

लेखापरीक्षा ने बोर्ड के पास उपलब्ध डीलरों के मासिक प्रतिवेदन के डेटाबेस के साथ डीबीटीएस (जहां डीलरों की पंजीकरण संख्या और प्रत्येक डीलर द्वारा जारी किए गए बीजकों की कुल संख्या और इसकी मात्रा उपलब्ध थी) के डेटाबेस की परस्पर जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीबीटीएस में, उत्पादकों ने कुछ महीनों में कुछ डीलरों के बीजक के आधार पर सब्सिडी का दावा किया था जबकि उन डीलरों ने आरयूबीआईएस में बोर्ड[18] के साथ दर्ज अपने वैधानिक मासिक प्रतिवेदन में शून्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार, अन्य मामलों में, उत्पादकों ने कुछ डीलरों के नाम पर बीजकों के आधार पर डीबीटीएस में सब्सिडी का दावा किया था, लेकिन उन डीलरों ने वैधानिक मासिक प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे रबड़ उत्पादक समितियों द्वारा डीबीटीएस में अपलोड किए गए डीलरों के बीजकों के अनुसार लेटेक्स/रबड़ शीट की मात्रा की तुलना लेटेक्स/रबड़ शीट की खरीद के लिए आरयूबीआईएस में मासिक प्रतिवेदन में डीलरों द्वारा घोषित मात्रा के साथ की। इस संबंध में, यह पाया गया कि:

(i) रबड़ डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजकों के लिए डीबीटीएस में ₹300.93 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया था, जिन्होंने या तो आरयूबीआईएस में प्रतिवेदन दाखिल नहीं किये थे या 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान आरयूबीआईएस में दाखिल अपने प्रतिवेदनों में शून्य खरीद की घोषणा की थी। वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और शामिल सब्सिडी राशि **अनुलग्नक-XXVII** में दी गई है।

(ii) 26,622.82 मीट्रिक टन लेटेक्स/रबड़ शीट के लिए डीबीटीएस में ₹33.05 करोड़ का सब्सिडी भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 से 2019-20 के दौरान 647 रबड़ डीलरों के संबंध में आरयूबीआईएस में प्रतिवेदन में घोषित मात्रा 11,046.24 मीट्रिक टन थी। वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और शामिल सब्सिडी राशि **अनुलग्नक-XXVIII** में दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा इन मामलों की परस्पर जाँच से पता चला कि

---

[18] ***उस महीने में उत्पादकों से किसी भी मात्रा में रबड़ शीट/लेटेक्स नहीं खरीदा गया***

डीबीटीएस में कुल मात्रा उस विशेष महीने में डीलरों द्वारा अपनी प्रतिवेदनों में दर्शाई गई मात्रा से बहुत अधिक थी।

रबड़ डीलरों के मासिक प्रतिवेदन में, उन उत्पादकों जिनसे रबड़ शीट/लेटेक्स की अधिप्राप्ति की गई थी के विवरण के बजाय विभिन्न उत्पादकों से डीलरों द्वारा खरीदी गई रबड़ शीट/लेटेक्स की समेकित मात्रा दी गई थी। इसलिए, जारी किए गए प्रत्येक उत्पादक-वार बीजक और दावा की गई सब्सिडी की परस्पर जाँच संभव नहीं थी।

बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर (फरवरी 2020) में बताया कि वे ऐसे मामलों को आगे की जांच के लिए केरल राज्य के वस्तु और सेवा कर इंटेलिजेंस विंग को भेज रहे हैं।

इस प्रकार, रबड़ उत्पादक समितियों और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवश्यक विवरणों का सत्यापन न करने से प्रणाली कमजोर हो जाती है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि बोर्ड केवल योजना का सुविधाकरक है, और नियम केरल सरकार द्वारा बनाए गए थे। बीजक की पुष्टि करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि डीलर ने प्रतिवेदन दाखिल किया है या नहीं। उसने आगे उत्तर दिया कि बोर्ड केरल सरकार को योजना के नियमों में एक शर्त रखने के लिए लिख रहा है कि बीजक जारी करने वाले डीलर द्वारा प्रतिवेदन दाखिल न करने पर प्रोत्साहन का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह नोट किया गया (सितंबर 2021) कि बोर्ड ने केरल सरकार को आरपीआईएस में एक शर्त शामिल करने का प्रस्ताव दिया (मार्च 2021) कि "उत्पादक द्वारा प्रस्तुत बिक्री बीजक वैध लाइसेंस वाले और वैधानिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने वाले डीलर से होना चाहिए।" बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर, केरल सरकार ने एक आदेश जारी किया (अगस्त 2021) जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि केवल अधिकृत डीलरों द्वारा जारी किए गए बीजक जो वैधानिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करते हैं, पर रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों को लेनदेन को मंजूरी देने से पहले बीजकों के विवरण को ऑनलाइन सत्यापित करना चाहिए, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए रबड़ उत्पादक समिति के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि उत्पादन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए केवल वैध बीजक अपलोड किए गए हैं। दो अलग-अलग प्रणालियों में रबड़ उत्पादन की

मात्रा में काफी भिन्नता, बोर्ड के पास उपलब्ध दोनों डेटाबेस की जांच करना बोर्ड के लिए अनिवार्य बना देती है। बोर्ड को सब्सिडी भुगतान की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटीएस और आरयूबीआईएस के डेटाबेस द्वारा परिलक्षित रबड़ शीट/लेटेक्स खरीद की मात्रा की नमूना आधार पर जांच करनी चाहिए।

ख. उत्पादकों के पंजीकरण का अपर्याप्त क्षेत्र सत्यापन

योजना के नियमों में किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 *प्रतिशत* मामलों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है। केवल 2019 में, बोर्ड ने सब्सिडी के दावों के लिए उत्पादकों के पंजीकरण का क्षेत्र सत्यापन किया, और वह भी केवल 3,622 उत्पादकों के लिए जो डीबीटीएस में पंजीकृत पांच लाख उत्पादकों के एक *प्रतिशत* से भी कम था। यह पाया गया कि 3,622 उत्पादकों में से 278 मामलों (7.67 *प्रतिशत*) में, रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना में पंजीकृत खेती का क्षेत्र वास्तविक से मेल नहीं खाता था और 3,622 में से 87 मामलों (2.4 *प्रतिशत*) में उत्पादकों के पास दोहन करने योग्य पेड़ नहीं थे जबकि सब्सिडी का दावा किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी को स्वीकृति देने से पहले क्षेत्र सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने आगे बताया कि रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना में कृषि योग्य और वास्तविक क्षेत्र में भिन्नता थी। सर्वेक्षण के आधार पर, अपात्र मामलों को समाप्त करने के लिए केरल सरकार को लाभार्थियों के पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता की सिफारिश की गई है।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना के नियमों में किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 *प्रतिशत* मामलों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया कि बोर्ड ने अपने द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर कोई सिफारिश नहीं की थी।

ग. विभिन्न उत्पादकों को एक ही बीजक पर सब्सिडी का भुगतान

नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 581 बीजक एक से अधिक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिसमें ₹31.28 लाख की सब्सिडी राशि शामिल थी जिसमें से ₹29.16 लाख की सब्सिडी का भुगतान किया गया था। यह इंगित करता है कि सब्सिडी

भुगतान के सभी अपात्र मामलों की जांच के लिए बोर्ड द्वारा डीबीटीएस के संपूर्ण डेटाबेस की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि सत्यापन पर उसने पाया कि दो लाभार्थियों के लिए एक ही बिल अपलोड किया गया था या एक ही लाभार्थी के लिए अलग-अलग पखवाड़े में एक ही बिल 20 *प्रतिशत* मामलों में अपलोड किया गया था और 15 *प्रतिशत* मामलों में डीलरों द्वारा जारी बीजक में एक ही क्रम संख्या है, लेकिन उत्पादक और बेची गई मात्रा अलग हैं। बोर्ड ने आगे बताया कि भविष्य के मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जाता है और क्षेत्रीय कार्यालयों को बीजकों के सत्यापन में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी।

सिफारिश संख्या 6

बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए कि बोर्ड द्वारा झूठे/धोखाधड़ीपूर्ण बीजकों के लिए सब्सिडी भुगतान की सिफारिश नहीं की जाए। बोर्ड अपात्र सब्सिडी भुगतान के मामलों की जांच के लिए भी कदम उठा सकता है क्योंकि ये भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी का संकेत देते हैं और तदनुसार जिम्मेदारी तय की जाए।

3.1.7.2 बाजार संवर्धन और गुणवत्ता नियंत्रण

बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों के दौरान रबड़ प्रसंस्करण, व्यापार और रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों को बढ़ावा दिया और बाजार संवर्धन गतिविधियों पर ₹70.23 करोड़ खर्च किए। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में दिए गए हैं:

क. रबड़/रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों में निवेश

नब्बे के दशक की शुरुआत में बोर्ड ने रबड़ उत्पादक समितियों/अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ ब्लॉक रबड़/सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे एज बॉन्डेड प्लैंक, दरवाजे आदि के उत्पादन के लिए चार रबड़ प्रसंस्करण[19] और दो रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों[20] की स्थापना की। इनमें से तीन रबड़ प्रसंस्करण कंपनियों[21] ने प्रसंस्करण संचालन बंद कर

---

[19] ***पम्बा रबर्स लिमिटेड, कावनार लेटेक्स लिमिटेड, पोनमुडी रबर्स लिमिटेड, और पेरियार लेटेक्स लिमिटेड.***

[20] ***मीनाचिल रबड़वुड लिमिटेड और रबड़वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड***

[21] ***पम्बा रबर्स लिमिटेड, पोनमुडी रबर्स लिमिटेड, और पेरियार लेटेक्स लिमिटेड.***

दिया और केवल व्यापारिक गतिविधियाँ कीं और एक[22] रबड़-लकड़ी प्रसंस्करण कंपनी ने अपना संचालन बंद कर दिया।

बोर्ड ने इन कंपनियों को कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना और संपार्श्विक प्रतिभूति राशि प्राप्त किए बिना (एक कंपनी पम्बा रबर्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर) कार्यशील पूंजी ऋण (₹17.83 करोड़) प्रदान किए। कार्यशील पूंजी ऋण की मूल राशि और इन कंपनियों से प्राप्य ब्याज 31 मार्च 2020 को क्रमशः ₹17.83 करोड़ और ₹10.47 करोड़ था। इन राशियों की वसूली की संभावना बहुत कम थी।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि उसने इन कंपनियों को बढ़ावा दिया, जिससे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए बेहतर फार्म गेट मूल्य प्राप्त करने और बिचौलियों को कम करने में मदद मिली। लेकिन पिछले दशकों में इन कंपनियों के संचालन के दौरान, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण वित्तीय संकट का समय था। बोर्ड के लिए ऐसी परिस्थितियों में इन कंपनियों की मदद करना अनिवार्य हो गया।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ऋण की मूल राशि और प्राप्य ब्याज की वसूली की बहुत कम संभावना थी क्योंकि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति उच्च संचित हानियों के कारण खराब हो गई है।

ख. निर्यात-संवर्धन के लिए गोदाम

बोर्ड ने बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत कोच्चि के इरापुरम में स्थित रबड़ पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से पट्टे पर 3.27 एकड़ भूमि पर 1,000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्मित (मार्च 2011) किया। भूमि पट्टे के लिए ₹1.31 करोड़[23] की राशि का भुगतान किया गया और ₹0.72 करोड़ निर्माण पर व्यय किया गया। गोदाम के स्थान पर विचार करते हुए, यह बताया गया था कि इरापुरम एर्नाकुलम और कोट्टायम के रबड़ उत्पादक केंद्रों के पास था। हालांकि, गोदाम कोचीन बंदरगाह से बहुत दूर स्थित होने के कारण और भारत से प्राकृतिक रबड़ के कम निर्यात के कारण इसके निर्माण के बाद से ही गोदाम को निष्क्रिय रखा गया था। इस प्रकार, गोदाम के संचालन की व्यवहार्यता के बारे

---

[22] ***रबड़वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।***

[23] ***मार्च 2008 में ₹98 लाख के अग्रिम प्रीमियम का भुगतान किया गया और ₹8 लाख (मार्च 2012) और ₹25 लाख (मार्च 2014) अतिरिक्त भुगतान किए गए।***

में बोर्ड द्वारा पर्याप्त आकलन की कमी के परिणामस्वरूप ₹2.03 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि गोदाम को ₹2.05 करोड़ की राशि के लिए मेसर्स रबड़ पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था।

तथ्य यह रहता है कि बोर्ड नौ वर्षों तक गोदाम का उपयोग नहीं कर सका और इसे लगभग उसी वहन की गई लागत पर सौपना पड़ा। निर्यात प्रोत्साहन का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए दुर्लभ निधि अवरुद्ध हुई।

ग. मॉडल रबड़ फैक्ट्री को बंद करना

बोर्ड ने व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ (टायर उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल) के प्रसंस्करण के लिए नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 6,000 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ कोट्टायम के पास एक तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल रबड़ फैक्ट्री की स्थापना की (2001)। ठोस कच्चा लेटेक्स कारखाने के लिए कच्चा माल था। हालांकि, इसकी स्थापना से, बोर्ड को पर्याप्त कच्चा लेटेक्स नहीं मिल सका, क्योंकि उत्पादक इसकी आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं थे; इसके बजाय उन्होंने शीट रबड़ का उत्पादन किया क्योंकि यह उनके लिए अधिक लाभकारी था। इसलिए, स्थापित क्षमता के कम उपयोग, प्रसंस्करण की उच्च लागत और कच्चे लेटेक्स की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण कारखाना अव्यवहारिक हो गया। अंततः, कारखाने को दिसंबर 2015 में बंद कर दिया गया था, हालांकि, बोर्ड ने जनवरी 2019 तक श्रमिकों को मजदूरी (₹2.30 करोड़) का भुगतान करना जारी रखा। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कारखाना स्थापित करने का उद्देश्य हासिल नहीं किया गया और बोर्ड को ₹8.60 करोड़[24] की संचित हानि हुई। फैक्ट्री को ₹85,000 जीएसटी सहित मासिक पटटा किराए के साथ किराए पर दिया गया था (अगस्त 2019)।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल रबड़ फैक्ट्री की स्थापना का उद्देश्य भारत में तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ प्रसंस्करण में आधुनिक तकनीक और अपशिष्ट उपचार प्रणालियों का प्रसार करना था। इसने अन्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ कारखानों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले ब्लॉक रबड़ के निर्माण के

[24] ***31 मार्च 2015 तक ₹8.60 करोड़***

लिए प्रोत्साहित किया ताकि अन्य देशों को निर्यात किया जा सके। मशीनरी में अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों को तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री में शामिल किया गया था, जिसे बाद में अन्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ कारखानों द्वारा भी अपनाया गया, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ। इसके अलावा, तकनीकी रूप से निर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ के अर्ध-स्वचालित प्रसंस्करण के लोकप्रिय होने से श्रमिकों की कठिनाई कम हो गई और तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री में ईटीपी प्रणाली ने पर्यावरण की समस्याओं को काफी हद तक कम करने में मदद की। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया कहा जा सकता है, हालांकि वाणिज्यिक संचालन निरंतर जारी नहीं रह सका।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि बोर्ड के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थात व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तकनीकी रूप से निर्दिष्ट मॉडल ब्लॉक रबड़ फैक्ट्री की स्थापना और नवीनतम तकनीक का निरूपण प्राप्त नहीं किये गये थे।

3.1.7.3 परिक्रामी निधि का कम उपयोग

2004-05 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष ₹2 करोड़ की परिक्रामी निधि बनायी गयी थी ताकि उत्पादकों को रियायती दर पर इनपुट प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2015-16 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹12 करोड़ (@₹2 करोड़ प्रति वर्ष) का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि बोर्ड ने 2010-11 से 2015-16 के दौरान केवल ₹1.21 करोड़ व्यय किए। योजना को 2015-16 से बंद कर दिया गया था। निधियों के कम उपयोग और बाद में योजना के बंद होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ उत्पादकों को रियायती दर पर उर्वरक, पॉलिथीन शीट, टैपिंग शेड आदि जैसे इनपुट प्रदान करने के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया था। परिक्रामी निधि (₹2 करोड़) के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त राशि को अभी तक वापस नहीं किया गया था और बोर्ड द्वारा निष्क्रिय रखा गया था (मार्च 2020)।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि योजना के प्रति उत्पादकों की खराब प्रतिक्रिया, डीलरों की निविदाओं के प्रति खराब प्रतिक्रिया, उत्पादकों द्वारा इनपुट की लागत के अग्रिम प्रेषण में कठिनाई और इनपुट के परिवहन की उच्च लागत के कारण वह परिक्रामी निधि का उपयोग करने में असमर्थ था।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि योजना 2004-05 से शुरू की गई थी, और यदि कार्यान्वयन योग्य नहीं पाया गया, तो बोर्ड को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को निधि वापस कर देनी चाहिए थी।

3.1.7.4 ऋण की वसूली न करना

बोर्ड ने तीन रबड़ ट्रेडिंग कंपनियों[25] को दिसंबर 2017 तक तीन *प्रतिशत* ब्याज के साथ पूरी राशि चुकाने की शर्त के साथ इनपुट की अधिप्राप्ति के लिए ₹6.17 करोड़ का सुलभ ऋण प्रदान किया (मई 2017) जिसमें विफल रहने पर शेष ऋण पर सात प्रतिशत का दंड लगाया जाएगा। बोर्ड ने मार्च 2017 से पहले राशि चुकाने की शर्त के साथ दो रबड़ ट्रेडिंग कंपनियों[26] को ₹1.32 करोड़ के इनपुट की आपूर्ति की (फरवरी 2017)। हालांकि, सुलभ ऋण के प्रति ₹1.01 करोड़ और आपूर्ति किए गए इनपुट के ₹1.21 करोड़ को तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी वसूल नहीं किया गया (मार्च 2020)। विलंबित भुगतान के लिए ब्याज और दंड ₹0.56 करोड़ (मार्च 2020) निकला। इस प्रकार, बोर्ड उपरोक्त कंपनियों[27] से ₹2.78 करोड़ (सुलभ ऋण के लिए ब्याज और दंड सहित) की वसूली के लिए कदम उठाने में विफल रहा।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि कंपनियां धीरे-धीरे बकाया राशि वापस कर रही हैं।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य में देखा जा सकता है कि बोर्ड ने तीन वर्षों के बाद भी अभी तक पूरी राशि की वसूली नहीं की है और कंपनियों पर दंड नहीं लगाया है।

3.1.7.5 परियोजना लागत की वसूली न करना

आदिवासी वृक्षारोपण के लिए पंडिरीमामिडीकोटा क्षेत्र में बोर्ड द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन (2008) पर जनजातीय विभाग के आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) जो सक्षम प्राधिकारी थे के बजाय परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना को मंजूरी नहीं दी (मार्च 2012) और बोर्ड जनजातीय रबड़ वृक्षारोपण विकास परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के ₹0.33 करोड़ के भाग की वसूली नहीं कर सका।

---

[25] ***मणिमलयार रबर्स, कंहंगढ़ रबर्स और सहयाद्री रबर्स***

[26] ***मणिमलयार रबर्स और कंहंगढ़ रबर्स***

[27] ***मणिमलयार रबर्स: ₹1.33 करोड़; कंहंगढ़ रबर्स: ₹1.22 करोड़ और सहयाद्री रबड़: ₹0.23 करोड़***

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि लम्बित बकाया की वसूली के प्रयास जारी हैं।

3.1.7.6 छात्रावास भवन निर्माण में निधि का अवरोधन

रबड़ प्रशिक्षण संस्थान में केवल 32 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा थी, हालांकि इसमें लगभग 75 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की सुविधा थी। अत: छात्रावास सुविधा को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने छात्रावास का निर्माण शुरू किया (अगस्त 2014)। हालांकि स्वीकृति केवल ₹1.49 करोड़ के लिए दी गई थी, बोर्ड ने ₹2.17 करोड़ के अनुमान पर निर्माण शुरू किया था। इसके बाद ₹0.87 करोड़ खर्च करने के बाद, यह धन की कमी के कारण निर्माण पूरा नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप दुर्लभ संसाधन अवरुद्ध हो गए। जून 2017 के बाद से निर्माण गतिविधि फिर से शुरू नहीं हुई थी। रबड़ प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास अभी भी (मार्च 2021) पुराने भवन में प्रशिक्षुओं के लिए सीमित आवास सुविधाओं के साथ कार्य करना जारी रखे हुए था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि शेष कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है और निर्माण का अनुमान फरवरी 2021 में प्राप्त होगा। कार्य को 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव था।

बोर्ड के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि संसाधनों का आकलन किए बिना निर्माण गतिविधियों को शुरू करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त छात्रावास सुविधाओं के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि भवन अधूरा था। जून 2017 से लगभग चार वर्षों के लिए अधूरे भवन पर ₹0.87 करोड़ की राशि भी अवरुद्ध हो गई थी। इसके अलावा, 2021-22 में निर्माण की लागत 2017 में निर्माण की लागत से अधिक होगी।

3.1.7.7 बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण कार्यकलाप

रबड़ की खेती बड़ी संख्या में कुशल श्रम बल पर निर्भर करती थी। बोर्ड ने भारत में (2019-20) दोहन योग्य क्षेत्र के 26.47 *प्रतिशत* का दोहन न करने के मुख्य कारणों में से श्रम की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। बड़े वृक्षारोपण[28] में, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951 के अनुसार श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय लागू किए गए थे। हालांकि, भारत में 91 *प्रतिशत* रबड़ वृक्षारोपण केवल 0.57 हेक्टेयर के औसत आकार के साथ छोटी जोत

[28] ***10 हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण***

वाले हैं। बोर्ड ने छह श्रम कल्याण योजनाएं[29] तैयार की। अपेक्षित अनुभव[30] वाले श्रमिक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत ₹23.79 करोड़ व्यय किए थे जिससे 2.1 लाख श्रमिकों को लाभ हुआ था। हालांकि, बोर्ड के पास लाभार्थियों को प्रमाणित करने और उनके आवेदनों को संसाधित करने के लिए श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस नहीं था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि लगभग 4.51 लाख श्रमिक (जुलाई 2019) रबड़ के वृक्षारोपण में लगे हुए थे, छोटी जोत वाले अधिकांश श्रमिक लाभान्वित नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बोर्ड ने 2015-16 के बाद निधियों की कमी के कारण समूह जीवन बीमा सह टर्मिनल लाभ योजना को लागू करना जारी नहीं रखा था और केवल मौजूदा सदस्य ही हर साल अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कर रहे थे। इसी तरह, स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू नहीं की गई थी।

बोर्ड ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि उसने रबड़ क्षेत्र की गणना करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें श्रमिकों का विवरण भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड ने स्वीकार किया कि 2015-16 से समूह जीवन बीमा सह टर्मिनल लाभ योजना का नया नामांकन बंद कर दिया गया था।

श्रम कल्याण योजनाओं को बंद करने, परिकल्पित योजनाओं को शुरू न करने और छोटी जोत के सामान्य रबड़ वृक्षारोपण श्रमिकों को योजनाओं में शामिल न करने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को लाभ से वंचित किया गया।

सिफारिश संख्या 7

रबड़ उत्पादन और श्रम कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के लिए निधि उपयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने के माध्यम से योजनाओं के लाभों के विस्तार हेतु बोर्ड द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

---

[29] ***शैक्षिक वजीफा, चिकित्सा सहायता, आवास सब्सिडी, स्वच्छता सब्सिडी, महिला दोहकों का सशक्तिकरण और बीमा***

[30] ***रबड़ प्रोड्यूसर्स सोसायटी के नियोक्ता/अध्यक्ष से रोजगार प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए 1 से 5 साल का अनुभव***

3.1.8 निष्कर्ष

रबड़ बोर्ड एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जो भारत में रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, गैर-पारंपरिक क्षेत्र में वृक्षारोपण क्षेत्र का विस्तार करने और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोर्ड के प्रयास सफल नहीं थे क्योंकि योजना व्यय की तुलना में परिचालन व्यय के लिए अनुदान का अधिक उपयोग किया गया था। पर्याप्त रबड़ उत्पादक समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करके रबड़ उत्पादकों के बीच समूह दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में बोर्ड की विफलता के कारण, इन समितियों के तहत केवल 39.18 *प्रतिशत* रबड़ की खेती को कवर किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड रबड़ की खेती पर व्यवस्थित तरीके से डेटा एकत्र करने और संकलित करने के अपने उद्देश्य में भी विफल रहा। रबड़ डीलरों द्वारा अपने मासिक प्रतिवेदनों में बताई गई खरीद की बीजक मात्रा और रबड़ डीलरों के बीजक का उपयोग करने वाले उत्पादकों द्वारा दावा की गई सब्सिडी के बीच विसंगतियां रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना के उचित कार्यान्वयन के बारे में संदेह पैदा करती हैं। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा रबड़/रबड़ लकड़ी प्रसंस्करण कंपनियों को प्रदान किए गए कार्यशील पूंजी ऋण इन कंपनियों को हुए वित्तीय नुकसान के कारण वसूल न होने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण योजनाओं को बंद करने और योजनाओं के अपर्याप्त कवरेज के परिणामस्वरूप रबड़ वृक्षारोपण श्रमिकों को लाभ से वंचित कर दिया गया।